राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ

डी.बी. सिविल विविध अपील संख्या 4796/2024

डिम्पल पत्नी रविन्द्र मीना पुत्री प्रीतम सिंह मीना, आयु लगभग 27 वर्ष, निवासी खोहरा (संथा), तहसील महुआ जिला दौसा, वर्तमान निवासी ई-ब्लॉक 19/20, शंकर विहार, सवाई माटोर, मालवीय नगर, जयपुर (राजस्थान)।

----अपीलार्थी

बनाम

रविन्द्र मीना पुत्र श्री जगदीश प्रसाद मीना, आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी खोहरा (संथा), तहसील महुआ, जिला दौसा (राजस्थान)।

----प्रत्यर्थी

अपीलार्थी की ओर से : श्री राजेंद्र कुमार सारस्वत

माननीय न्यायाधीश श्री अवनीश झिंगन

माननीय न्यायाधीश श्री आशुतोष कुमार

आदेश

21/02/2025

अवनीश झिंगन, न्यायाधीश (मौखिक):-

1. यह अपील अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, महुआ, जिला दौसा द्वारा पारित दिनांक 29.07.2024 के निर्णय और डिक्री से व्यथित होकर दायर की गई है, जिसमें प्रत्यर्थी-पति (जिसे इसके बाद 'प्रत्यर्थी' पढ़ा जाएगा) द्वारा दायर दांपत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना और स्थायी निषेधाज्ञा के मुकदमे को स्वीकार कर लिया गया था।

---

2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि अपीलार्थी-पत्नी (जिसे इसके बाद 'अपीलार्थी' पढ़ा जाएगा) अपने वैवाहिक घर जाने और अपने वैवाहिक संबंध के दायित्वों का निर्वहन करने के लिए तैयार है लेकिन प्रत्यर्थी उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दे रहा है। दलील यह है कि दहेज की मांग करके अपीलार्थी को परेशान किया जा रहा था। याचिका के लंबित रहने के दौरान जब वह वैवाहिक घर गई थी, तो प्रत्यर्थी ने धारा 107 और 116 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत एक शिकायत दायर की और कार्यकारी मजिस्ट्रेट, जयपुर (उत्तर) द्वारा दिनांक 09.01.2024 के आदेश के तहत अपीलार्थी को धारा 107/111 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत प्रतिबंधित कर दिया गया था।

3. न्यायालय ने इस मुद्दे पर निर्णय लेते समय कि क्या अपीलार्थी ने उचित कारण के बिना वैवाहिक घर छोड़ दिया था, यह माना कि अपीलार्थी द्वारा लिया गया यह बचाव कि उसे अधिक दहेज के लिए शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार और परेशान किया जा रहा था, सिद्ध नहीं हुआ। अपीलार्थी ने मुकदमे की कार्यवाही में एक आधारहीन बयान दिया कि उसके साथ शारीरिक दुर्व्यवहार, मानसिक और शारीरिक यातना दी जा रही थी और दहेज की मांग थी, हालांकि, आरोपों को सिद्ध करने के लिए कोई पुलिस शिकायत या चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया।

4. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की यह दलील कि अपीलार्थी वैवाहिक घर जाने के लिए तैयार और इच्छुक है, लेकिन पति द्वारा धारा 106 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत की गई शिकायत यह सिद्ध करती है कि प्रत्यर्थी उसे ऐसा करने की अनुमति नहीं दे रहा है, योग्यता रहित है।

5. यह बताना उपयुक्त होगा कि प्रत्यर्थी द्वारा दायर शिकायत और उस पर पारित आदेश के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसके अलावा कथित घटना डिक्री पारित होने से पहले की है। रिकॉर्ड पर ऐसा कुछ भी नहीं है जो यह दर्शाता हो कि दांपत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिए किए गए प्रयासों में प्रत्यर्थी के कृत्यों से बाधा उत्पन्न हुई थी। इसके अलावा, यदि अपीलार्थी अपने पति का साथ देने के लिए तैयार है, तो निर्णय को चुनौती देने का कोई अवसर नहीं है।

6. आक्षेपित निर्णय और डिक्री में कोई तथ्यात्मक या कानूनी त्रुटि नहीं है।

7. तदनुसार, अपील खारिज की जाती है।

(आशुतोष कुमार), जे. (अवनीश झिंगन), जे.

मोनिका/5 क्या रिपोर्ट योग्य: हाँ

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

एडवोकेट विष्णु जांगिड़